

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश
ऑडिट भवन, टी सी-35-V-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

सं.म.ले.(ले.प.-II)/प्रशा./ICC/फा. स. 113/215

दिनांक: 21/02/2024

कार्यालय आदेश

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'विशाखा और अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान & अन्य (JT 1997(7) SC 384)' केस में दिये गए फैसले के अनुपालन में जारी किए गए मुख्यालय के परिपत्र संख्या 5-NGE/2006 No. 86-NGE(Disc)/10- 2005/KW दिनांक- 08/02/2006 में समाहित दिशानिर्देशों एवं कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के आलोक में, महालेखाकार महोदया द्वारा कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न शिकायतों के निवारण के लिए "आंतरिक शिकायत समिति" के पुनर्गठन को मंजूरी दी गयी है। पुनर्गठन के पश्चात समिति की संरचना इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम
1.	सुश्री विभा सिंह, उपमहालेखाकार	अध्यक्ष
2.	श्री राज कुमार राय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
3.	सुश्री प्रीति श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	सुश्री पूनम सिंह, सहायक पर्यवेक्षक	सदस्य
5.	सुश्री पारसा नकवी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक	सदस्य

समिति, कार्यालय में विशाखा निर्णय की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए हर साल अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के महीनों में बैठक करेगी। इसके अतिरिक्त, शिकायत मिलने पर भी समिति की बैठक होगी।

OFFICE ORDER

In light of the headquarters instructions contained in Circular no. 5-NGE/2006 No. 86-NGE(Disc)/10- 2005/KW dated 08/02/2006 issued in compliance of judgment of the Hon'ble Supreme Court of India in the case of Vishakha and others Vs. State of Rajasthan & others (JT 1997(7) SC 384) and the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 Accountant General has approved the reconstitution of the "internal Complain Committee" for the redressal of Complaints of Sexual harassment of working women at work places. After restructuring, the composition of the committee shall be as under:-

Sl. No.	Name	Designation
1.	Ms. Vibha Singh, Deputy Accountant General	Presiding Officer
2.	Shri Raj Kumar Rai , Senior Audit Officer	Member
3.	Ms. Preeti Srivastava, Assistant Audit Officer	Member
4.	Ms. Poonam Singh, Assistant Supervisor	Member

5.	Ms. Parsa Naqvi, Senior Auditor	Member
----	---------------------------------	--------

The committee shall meet in the months of April, July, October and January every year to review preparedness to fulfill all requirement of the Vishakha Judgment in the offices. In addition, the committee will also meet whenever a complaint is received.

हस्ता 1-

सं.म.ले.(ले.प.-II)/प्रशा./ICC/फा. स. 113/1675

वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन
दिनांक: 21/02/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सुश्री भाविका जोशी लाठे, निदेशक, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वित्त एवं संचार, शाखा कार्यालय लखनऊ।
2. सुश्री विभा सिंह, उपमहालेखाकार/AMG-IV, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उ.प्र., लखनऊ।
3. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उ.प्र., लखनऊ।
4. वरि. उपमहालेखाकार/ AMG-III & AMG-II, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उ.प्र., लखनऊ।
5. उपमहालेखाकार/AMG-I, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उ.प्र., शाखा प्रयागराज।
6. वरि. उपमहालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) उ.प्र., प्रयागराज।
7. व.ले.प.अ./ आई.टी.सेल, को इस आशय के साथ प्रेषित कि कार्यालय आदेश की एक प्रति Office Website पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. आन्तरिक शिकायत समिति के सभी सदस्य।
9. सूचना पट्ट

21/02/24

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन